न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/71** दायर दिनांक **26.05.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नारायणसिंह पुत्र रेवन्तसिंह, 2. गणपतसिंह पुत्र रेवन्तसिंह, 3. नरपतसिंह पुत्र रेवन्तसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रघुवीरसिंह पुत्र विजयसिंह, 2. भँवरकँवर पुत्री विजयसिंह, 3. सन्तोष पुत्री विजयसिंह, 4. रेखा पुत्री विजयसिंह, 5. पानकँवर पत्नी विजयसिंह, 6. गोपालसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, 7. महावीरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, 8. रतनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, 9. श्रवणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, 10. बजरंगसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, 11. बलवीरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह, 12. कमलकँवर पुत्री सुल्तानसिंह, 13. मनोहरकँवर पुत्री सुल्तानसिंह, 14. विनोदकँवर पुत्री सुल्तानसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. उपपंजीयक डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **02.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 एक ही पूर्वज बदनसिंह के जायज वारिशान् व उत्तराधिकारीगण हैं।

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् के पूर्वज बदनसिंह के तीनों पुत्रों में से एक नाऔलाद फौत हो गया और शेष दो पुत्रान् जालमसिंह व बलदेवसिंह का एक ही वंश चला। जालमसिंह के वंश में वर्तमान में वादीगण ही जीवित उत्तराधिकारीगण हैं जबकि बदलदेवसिंह के वंश में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 जीवित उत्तराधिकारीगण हैं।

वादगीण के पूर्वज जालमसिंह के पुत्र कालूसिंह पुत्र उगमसिंह व रेवन्तसिंह की जागीर व खुदकाश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 34 रकबा 16.15 बीघा, खसरा नम्बर 97 रकबा 02.15 बीघा, खसरा नम्बर 115 रकबा 22.03 बीघा, खसरा नम्बर 162 रकबा 02.01 बीघा, खसरा नम्बर 191 रकबा 04.04 बीघा, खसरा नम्बर 192 रकबा 05.15 बीघा, खसरा नम्बर 198 रकबा 19.17 बीघा कुल रकबा 69.02 बीघा तथा स्व0 सुल्तानसिंह पुत्र भैरूसिंह की जागीर व खुदकाश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 01.12 बीघा, खसरा नम्बर 190 रकबा 08.10 बीघा, खसरा नम्बर 193 रकबा 06.08 बीघा, खसरा नम्बर 114 रकबा 15.05 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नम्बर 35 रकबा 04.14 बीघा, खसरा नम्बर 98 रकबा 06 बीघा, कुल रकबा 60.19 बीघा वाकै शरहद भवाद मिसल बन्दोबस्त 2006 की खतौनी में अंकित रही है। इन खसरान् की भूमि के अलावा खसरा नम्बर 163 रकबा 11 बिस्वा स्वर्गीय उगमसिंह, रेवन्तसिंह पि0 कालूराम व सुल्तानसिंह की संयुक्त खातेदारी में अंकित रही। नकल पेश है।

उपर्युक्त वर्णित साबिक खसरान् की भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 46 रकबा 15.16 बीघा, खसरा नम्बर 69 रकबा 02.15 बीघा, खसरा नम्बर 113 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 22 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 181 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 318 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 रकबा 02.08 बीघा, खसरा नम्बर 328 रकबा 05.15 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 09.05 बीघा, खसरा नम्बर 351 रकबा 09.17 बीघा, वाकै शरहद भवाद बने। नकल पत्रांक रिसैटलमेन्ट दावा के साथ पेश है।

उपर्युक्त वर्णित वर्तमान खसरान् में से खसरा नम्बर 46 रकबा 15.16 बीघा, खसरा नम्बर 69 रकबा 02.15 बीघा, खसरा नम्बर 113 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 22 बीघा, खसरा नम्बर 181 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 रकबा 02.08 बीघा, खसरा नम्बर 328 रकबा 05. 15 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 09.05 बीघा व खसरा नम्बर 351 रकबा 09.17 बीघा, वाकै शरहद भवाद वह भूमि है जो कि साबिक में वादीगण के पूर्वज उगमसिंह रेवन्तसिंह की खातेदारी में सम्वत् 2006 के भू–प्रबन्ध में दर्ज थी। नकुलात् खतौनी दावा के साथ प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 के पूर्वज सुल्तानसिंह की खातेदारी में अंकित कुल भूमि में से केवल मात्र खसरा नम्बर 180 रकबा 02 बीघा वाकै शरहद भवाद शेष रही व अन्य तमाम खसरान् की भूमि तत्कालीन काश्तकारों की खातेदारी में अंकित हो गयी। बाड़ा साबिक खसरा नम्बर 163 रकबा 11 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 318 रकबा 09 बिस्वा में से 1/2 भाग वादीगण का पैतृक व 1/2 भाग

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी का है। सम्बन्धित नकुलात् खतौनी दावा के साथ में प्रस्तुत है।

वादीगण की कब्जाकाश्त व पैतृक खातेदारी की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविकता के मुताबिक अंकित नहीं होने पर वादीगण ने वर्ष 2013 में प्रतिवादीगण को खातेदारी दुरस्त करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने विश्वास दिलाया कि, राजस्व कैम्प दिनॉक 20.02.2013 में खातेदारी दुरस्त करवा देंगे।

वादीगण भोली प्रकृति के ग्रामीण हैं जिन्होंने प्रतिवादीगण का विश्वास किया और कैम्प दिनॉक 20.02.2013 में प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना–पत्र लिखवाकर उस पर वादीगण के व अपने अंगुष्ट व हस्ताक्षर करवाए और वादीगण को मुगालता में रखा कि अब खातेदारी दुरस्त हो जायेगी। मगर प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ धोखा कर अन्धेरे में रखते हुए गलत खातेदारी की आड़ में गलत विभाजन अंकित करवा लिया, जिसकी जानकारी वादीगण को उस वक्त नहीं हुई, तत्पश्चात् फरवरी 2014 में प्रथम सप्ताह में प्रतिवादीगण ने वादी से खेत खसरा नम्बर 350 व 351 का यह कहते हुए कब्जा मांगा कि इन खसरान् की खातेदारी हमारे नाम से अंकित है, अतः कब्जा हमे दे दो। इस पर वादीगण ने दिनॉक 07.02.2014 को सम्बन्धित रिकॉर्ड की नकुलात् प्राप्त की तो वादीगण को प्रतिवादीगण की करतूत का इल्म हुआ। तब वादीगण ने अपर कलक्टर नागौर के धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत् अपील की जो जैर तजवीज है।

वादीगण अपने पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी की उक्त भूमि खेत खसरा नम्बर 46, 69, 113, 114, 181, 326, 328, 350 व 351 वाकै शरहद भवाद व बाड़ा खसरा नम्बर 318 रकबा 09 विस्वा वाकै शरहद भवाद के 1/2 भाग पर कदीम से काबिज है, जिस भूमि की खातेदारी गलत अंकित रहने से वादीगण के जायज अधिकारों पर बादल छा गये हैं। वादीगण इन खसरान् की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण को यह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी करना लाजमी आया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी का बाड़ा साबिक खसरा नम्बर 163 रकबा 11 विस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 318 रकबा 09 विस्वा वाकै शरहद भवाद है, में वादीगण की सम्भावित 1/2 भाग व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का सम्भावित 1/14 भाग है जिसका पक्षकारान् के बीच विधिवत् बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आज तक नहीं हुआ है। अब इस बाड़ा की सीमाओं के बीच विवाद रहने लगा है जिससे वादीगण को यह दावा बाबत् बन्टवारा का करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण ने सरेआम धमकी दी कि हम तुम्हारे कब्जाकाश्त में जबरन दखल अन्दाजी करेंगे और तुम्हारे खेतों को अन्यों को हस्तानान्तरित कर देंगे। प्रतिवादीगण की बैजा धमकी मुताबिक वादीगण को अजहद नुकशान होगा जिसकी पूर्ति नकदी से नहीं हो सकेगी। अतः वादीगण को दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

2

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015/71
दायर दिनांक 26.05.2015, निर्णय दिनांक 02.06.2017
नारायणसिंह, वगैरा बनाम् रघुवीरसिंह, वगैरा।

वादीगण अपने वाद के जरिये राज्य सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाहते है, जिससे राज्य सरकार को दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। मगर बन्टवारा के दावा में लैण्ड होल्डर तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को खातेदारी दुरस्त करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कैम्प दिनाँक 20.02.2013 में खातेदारी दुरस्त कराने का विश्वास देने व उक्त कैम्प में वादीगण को मुगालता मे रखते हुए धोखा धड़ी करते हुए गलत खातेदारी अंकन की आड़ में गलत विभाजन करवा लेने व माह फरवरी 2014 में प्रथम सप्ताह में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जाकाश्त के खेतों में से खसरा नम्बर 350 व 351 का कब्जा यह कहते हुए मांगने पर कि इनकी खातेदारी हमारे नाम से अंकित है, दिनाँ 07.02.2014 को नकल लेने पर इल्म हुआ।

प्रार्थना वादीगण है कि–

वाद वर्णित वर्तमान खेत खसरा नम्बर 46, 69, 113, 114, 181, 326, 328, 350 व 351 कुल रकबा 69.02 बीघा वाकै शरहद भुवाद व बाड़ा खसरा नम्बर 318 रकबा 09 बिस्वा वाकै शरहद भुवाद के 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम से घोषित की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

बाड़ा खसरा नम्बर 318 रकबा 09 बिस्वा वाकै शरहद भुवाद का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 के बीच विधिवत् बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाकर 1/2 भाग की भूमि वादीगण को दिलाई जावे।

वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के संलग्न, वादी का शपथ–पत्र, नामान्तरकरण पंजिका की छायाप्रतियाँ संख्या 01 से 06, भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वत् 2018 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संख्या 07 से 10, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2024–2027 व 2068–2071 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संख्या 11 से 14 तक प्रमाणित प्रतिलिपियाँ है।

वादीगण संख्या 01 से 03 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वकील श्री रामस्वरूप शर्मा ने तथा

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015/71
दायर दिनांक 26.05.2015, निर्णय दिनांक 02.06.2017
नारायणसिंह, वगैरा बनाम् रघुवीरसिंह, वगैरा।

प्रतिवादीगण की पहचान वकील समन्दरसिंह ने की। अतः हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा मुताबिक, खसरा नम्बर 490/180 रकबा 09 बिस्वा में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जावे तथा वादीगण के खाता में से खसरा नम्बर 491/351 में से रकबा 09 बिस्वा जमीन में वादीगण का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् राजीनामा दिनाँक 29.07.2016 अनुसार दावा डिक्री किया जाने की सहमति देते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित है। अतः बाद विवचेन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद भवाद में खसरा नम्बर 490/180 रकबा 09 बिस्वा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

शरहद भवाद में खसरा नम्बर 491/351 रकबा 01.15 बीघा में से रकबा 09 बिस्वा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को खातेदार घोषित किया जाता है व वादीगण का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

निर्णय आज दिनांक **02.06.2017** को कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/71** दायर दिनांक **26.05.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नारायणसिंह पुत्र रेवन्तसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	**बनाम्**	1. रघुवीरसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक **02.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद भवाद में खसरा नम्बर 490/180 रकबा 09 बिस्वा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

शरहद भवाद में खसरा नम्बर 491/351 रकबा 01.15 बीघा में से रकबा 09 बिस्वा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को खातेदार घोषित किया जाता है व वादीगण का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **02.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

Scanned by CamScanner